=:: कार्यालय अधीक्षक जिला जेल हरदा (मध्य प्रदेश) ::=

(e-mail:districtjailharda@gmail.com, phone-9425660063)

क्रमांक 3953/निर्वाह/2022 हरदा, दिनांक 06–08–2022

प्रति,

संचालक
सूचना एवं प्रकाशन विभाग
बाणगंगा भोपाल (म.प्र.)

विषयः– जिला जेल हरदा की वार्षिक ई–निविदा सूचना (तृतीय आमत्रण)वर्ष 2022–23 समाचार पत्रों में प्रकाशित करने बावत्।

संदर्भः– जेल मुख्यालय भोपाल का पत्र क्रं. 12150/निर्वाहशाखा/22 दिनांक 23.06.2022

=≈00≈=

उपरोक्त विषय मेनिवेदन है कि जिला जेल, हरदा में परिरूद्ध बंदियों हेतु देशी खडा चना एवं दवाईयॉ क्रय हेतु वार्षिक ई–निविदा (तृतीय आमंत्रण) दिनांक **27.08.2022** को सायं: 05:00 बजे तक आमंत्रित की गई है।

ई–निविदा सूचना की पांच प्रतियां संलग्न कर अनुरोध है कि इसका प्रकाशन मध्यप्रदेश के ख्याति प्राप्त किन्ही 03 दैनिक समाचार पत्र व स्थानीय स्तर के दो दैनिक समाचार पत्रों में आवश्यक रूप से दिनांक 27.08.2022 के दो सप्ताह पूर्व कराने का कष्ट करें।

सलंग्नः– निविदा सूचना 05 प्रतियॉ।

(एम.एस.रावत)
जेल अधीक्षक
जिला जेल, हरदा (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 3954 से 3972/निर्वाह/2022 हरदा, दिनांक 06–08–2022

प्रतिलिपिः–

1. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाऐं म.प्र. **भोपाल** की ओर निविदा सूचना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागायुक्त, **नर्मदापुरम** की ओर निविदा सूचना की एक प्रति सादर प्रेषित है।
3. जिलाध्यक्ष, **हरदा**, **नर्मदापुरम** की ओर निविदा की एक प्रति सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अनुविभाग **हरदा** की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि निविदा प्रति सूचना पटल पर चस्पा कर प्रचार–प्रसार करनें का कष्ट करे।
5. प्रवंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र,**हरदा** की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के व्यापारियों को सूचित कर अनु. जाति/जनजाति के पंजीकृत व्यापारियों की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. जिला खाद्य अधिकारी,**हरदा** की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

....02..

7. तहसीलदार,**हरदा** की ओर निविदा सूचना की एक प्रति भेजकर आग्रह है कि निविदा में उल्लेखित सामग्रियों के स्थानीय बाजार भाव दिनांक 27.08.2022 के एक दिवस पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आपके द्वारा प्रचलित बाजार भाव उपलब्ध नही कराने की स्थिति में निविदा की कार्यवाही की जाना संभव नही होगी, जिससे निविदा के प्रकाशन में किया गया व्यय व्यर्थ हो जावेगा।
8. प्रबंधक, जिला सहकारी समिति,**हरदा** को प्रेषित कर आग्रह है कि सभी सहकारी समितियों को निविदा से अवगत करावें।
9. मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, नगर पालिका परिषद,**हरदा** की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि निविदा प्रति सूचना पटल पर चस्पा कर प्रचार–प्रसार करनें का कष्ट करे।
10. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, **हरदा** की ओर भेजकर निवेदन है कि निविदा में दर्शाई गई वस्तुओं के प्रचलित बाजार भाव दिनांक 27.08.2022 के एक दिवस पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
11. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल,**नर्मदापुरम**,की ओर निविदा विज्ञप्ति एवं शर्तो को व्यापारियों से टीप कराकर प्रति वापस भेजने एवं निविदा का प्रकाशन मध्यप्रदेश के ख्याति प्राप्त किन्ही 03 दैनिक समाचार पत्र व स्थानीय स्तर के दो दैनिक समाचार पत्रों मेंप्रकाशन हेतु संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, बाणगंगा रोड, भोपाल की ओर ऑनलाइन प्रेषित करने हेतु सादर निवेदन है।
12. जेल अधीक्षक, जिला जेल **बैतूल**/ उप जेल **पिपरिया**/**सिवनी मालवा**/**मुलताई**एवं **नसरूल्लागंज**की ओर निविदा विज्ञप्ति एवं शर्तो को स्थानीय व्यापारियों से टीप कराकर वापस प्रेषित करने हेतु।
13. स्थानीय प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत व्यापारियों को व्यापक प्रचार–प्रसार टीप हेतु प्रेषित।
14. जिला जेल, हरदा में सूचनापटल पर चस्पा कर प्रचार–प्रसार करने हेतु।

(एम.एस.रावत)
जेल अधीक्षक,
जिला जेल हरदा (मध्य प्रदेश)
जेल अधीक्षक
जिला जेल, हरदा (म.प्र.)

=::कार्यालय अधीक्षक, जिला जेल हरदा (म.प्र.)::=

(दूरभाष क्रमांकः–9425660063)

क्रमांक 3952 / निर्वाह / 2022 हरदा, दिनांक 06–08–2022

ई–टेण्डरिंग निविदा (तृतीय आमंत्रण) वित्तीय वर्ष 2022–23

Email_ districtjailharda@gmail.com

ई–निविदा सूचना

म.प्र. जेल पूर्ति नियम 1968 एवं म.प्र. भण्डार क्रय नियम के अंतर्गत (फार्म (अ) नियम 6 देखिये)

समस्त पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि जिला जेल, हरदा में परिरूद्ध बंदियों के लिये देशी खडा चना एवं दवाईयॉ क्रय हेतु वार्षिक निविदायें ई–टेण्डरिंग के माध्यम से बेवसाइट http//www.mpeproc.gov.in पर दिनांक **27.08. 2022** को सायं 05.00 बजे तक आमत्रिंत की जाती है। इच्छुक व्यापारीगण सबंधित जेल की बेवसाइट पर जाकर निविदा की सूचना प्राप्त कर सकते है।

निविदा में संशोधन की स्थिति में बेवसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमत्रंण सूचना व अन्य शर्तो से सबंधित जानकारी उक्त बेवसाइट पर ही देखी जा सकेगी।

(एम.एस.रावत)
जेलअधीक्षक,
जिला जेल हरदा (मध्य प्रदेश)

जेल अधीक्षक,
जिला जेल, हरदा (म.प्र.)

ई–निविदा कार्यक्रम का विवरण

क्रं.	विवरण	दिनांक / समय	स्थान
01	प्री–बिड मिटिंग	दिनांक 26.08.22 दोपहर 12:00 बजे	जेल अधीक्षक कार्यालय, जिला जेल, हरदा
02	निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि, निविदा फार्म का मूल्य रु.1000/– प्रति फार्म राशि ऑनलाईन महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. शीर्ष 0056, जेले–800 अन्य प्राप्तियो में जमा की जावेगी, यदि निविदा की कुल रकम 5.00 लाख से कम हो तो निविदा फार्म क्रय की राशि 500/– प्रति फार्म देय होगी।	दिनांक 27.08.2022 शाम 05:00 बजे तक	www.mpeproc.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।
03	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	27.08.2022 शाम 05:00 बजे तक	www.mpeproc.gov.in पर ऑनलाईन स्वीकार की जावेगी।
04	दस्तावेजों की हार्ड कॉपी/ई.एम.डी. प्रस्तुत करने एवं नमूना जमा करने की अंतिम तिथि	29.08.2022 दोपहर 12:00 बजे तक	जेल अधीक्षक कार्यालय, जिला जेल, हरदा
05	तकनीकि निविदा(आवश्यक दस्तावेज) ऑनलाईन खोलने की तिथि	30.08.2022 दोपहर 01:00 बजे	जेल अधीक्षक कार्यालय, जिला जेल, हरदा
06	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	31.08.2022 दोपहर 02:00 बजे	जेल अधीक्षक कार्यालय, जिला जेल, हरदा

जेलअधीक्षक,
जिला जेल, हरदा (मध्य प्रदेश)

जेल अधीक्षक
जिला जेल, हरदा (म.प्र.)

=:: कार्यालय अधीक्षक जिला जेल हरदा (मध्य प्रदेश) ::=

(e-mail:districtjailharda@gmail.com, phone-9425660063)

::: निविदा की शर्ते :::

01. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए देशी खडा चना एवं दवाईयों क्रय की कार्यवाही म.प्र. जेल पूर्ति नियम, 1986 एवं मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम 2015 के अंतर्गत ई–टेण्डरिंग के माध्यम से अर्थात ऑनलाईन की जायेगी।

02. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध हैं। निविदा शुल्क ठेके की लागत 5 लाख तक रू. 500=00 एवं 5 लाख से अधिकरू. 1000=00 प्रति निविदा फार्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056 जेलें–800 अन्य प्राप्तियों मे जमा करना होगा।

03. निविदायें खंडवार पृथक–पृथक जमा की जाएंगी। निविदा में 2 प्रतिशत बयाने की राशि खंडानुसार www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन स्वीकार की जायेगी। जिला जेल, हरदा में 2 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) अर्थात बयाने की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	खण्ड का नाम	कुल लागत	2% बयाने की राशि
1	देशी खडा चना	2,00,000=00	4,000=00
2	दवाईयॉ (इथिकल)	1,00,000=00	2,000=00
3	इवाईयॉ (जेनरिक)	3,00,000=00	6,000=00

04. वार्षिक ई–निविदा में दर्शाई गई वस्तुओं के भाव अधिकतम दिनांक 30.06.2023 अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक, जो भी प्रथम हो, वैध रहेंगे।

05. खाद्य वस्तुओं को गुणवत्ता औसत स्तर की होनी चाहिए। **प्रत्येक निविदाकार को सामग्री की दरें ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। निविदा मे जो दरे प्रस्तुत की जायें वे समस्त करों सहित होनी चाहिए।** पृथक से कोई करदेय नही होगा।

06. उन्हीं निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होगी, जो वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी होंगे। प्रत्येक निविदाकारों को निविदा के साथ पिछली तिमाही का जी.एस.टी. रिटर्न प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम,1894 की धारा–10 एवं जेल मुख्यालय, मध्य प्रदेश के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट–3/दिनाक 28.01.2015 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र (अ) एवं (ब) मे 50 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टैम्प पर मूल प्रति मे नोटरी द्वारा प्रमाणित एक शपथ–पत्र भी आवश्यक रूप से दिया जाएगा। शपथ पत्र के अभाव मे निविदा मान्य नहीं होगी। शपथ पत्र का प्रारूप लॉनलाईन www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

8. निविदाएं संबंधित जेल कार्यालय मे उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति की उपस्थिति मे निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जाएंगी। परिवर्तन की सूचना www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर एवं जेल के सूचना पटल पर लिखित मे चस्पा कर दी जाएगी।

क्रमशः...2/–

9. तहसील/मंडी/खाद्यान्न क्रय समिति की दरें निविदा खोजने की दिनांक के पूर्व प्राप्त न होने की स्थिति मे, क्रय समिति के विवेक पर यह दरे एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त करने की शर्त पर, निविदा खोलने की तिथि बढाई जा सकेगी।

10. तकनीकी निविदा के दौरान निविदाकारों द्वारा दस्तावेजो एवं नमूनों का परीक्षण किया जाएगा और इसमें पात्र घोषित किये गये निविदाकर्ताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव (निविदा) खाले जायेंगे। तकनीकी निविदाके तहत निम्न दस्तावेजों की छायाप्रति, स्वयं हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित, सील बंद लिफाफे मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, नहीं तो निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा :-

(i) आधार कार्ड एवं पैन कार्ड
(ii) निविदा की कुल लागत के 2 प्रतिशत के हिसाब से ऑनलाइन बयाने की रकम जमा करने की रसीद।
(iii) मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम **1958** के अधीन पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र।
(iv) जी.एस.टी. **पंजीयन** एवं पिछली तिमाही का जी.एस.टी. रिटर्न भरने का प्रमाण-पत्र।
(v) विगत 03 वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण-पत्र।
(vi) शपथ पत्र अ एवं ब (मूल प्रति में)
(vii) अनाज एवं सब्जी विक्रय हेतु कृषि उपज मंडी समिति का वैध लायसेंस।
(viii) खाद्य संरक्षा औरमानक अधिनियम**2006** के अधीन वैध अनुज्ञप्ति (लायसेंस)।
(ix) वस्तुओं के व्यापार संबंधी नगर निगम/परिषद का वैध व्यवसाय लायसेंस।
(x) दवाईयों की निविदा हेतु वैध ड्रग लायसेंस
(xi) निविदा मे उल्लेखित सामग्री के अपेक्षित नमूने एवं ब्रांड की जानकारी से संबंधित पत्र । साथ ही प्रत्येक निविदाकार निम्न जानकारी लिफाफे के ऊपर दें :-

(क) निविदा वर्ष
(ख) निविदा क्रमांक
(ग) खंड का नाम
(घ) प्रस्तुत किये गये नमूनों की संख्या

11. तकनीकी निविदाके तहत प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को ऑनलाइन भीजमा करना अनिवार्य होगा और इनका मिलान लिफाफे में प्राप्त हार्डकॉपी से किया जायेगा। यदि एक ही फर्म द्वारा निविदा के साथ एक से अधिक खंडो के लिए निविदा प्रस्तुत की गई है तो संबंधित फर्म समस्त दस्तावेजो का एक ही सेट प्रस्तुत कर सकती है।

12. निविदा के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता विभाग से सत्यापन कराया जा सकता है । सत्यापन के दौरान यदि दस्तावेज फर्जी अथवा गलत पये जाते है तो संबंधित व्यापारी का ठेका निरस्त कर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

13. निविदा में उल्लेखित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के अपेक्षित नमूने निविदाकार को नियत तिथि एवं निर्धारित समय तक प्रस्तुत करने होंगे। निविदाकार जिन सामग्रियों के लिए निविदा प्रस्तुत कर रहे है, उन सामग्रियों के ब्राण्ड तथा मेक का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना आवश्यक है। नमूने प्राप्त न होने अथवा सामग्री क नाम के साथ ब्राण्ड के नामो का उल्लेख न होने पर निविदा पर विचाार नही किया जाएगा। नमूने 500-500 ग्राम के पारदर्शी डब्बे मे समान गुणवत्ता वाले

क्रमशः...3/-

दो–दो पैक फर्म का नाम लिखकर, नमूनों को पूर्णतः सीलबंद कर स्वहस्ताक्षरित सील सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संबंधित जेल कार्यालय मे निर्धारित तिथि एवं समय तक उपरोक्त शर्तो के अधीन डाक से भेजी गई तकनीकी निविदाएं (दस्तावेज की हार्ड कॉपी एवं नमूनें) भी मान्य होंगे।

14. नमूने का परीक्षण उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों तथा संबंधित जेल की क्रय समिति की उपस्थिति में किया जाएगा। जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नमूने अनुमोदन पश्चात सील बंद डिब्बे मे रखें जायेंगे। निविदाकारो द्वारा प्रदाय वस्तुयें साफ–सुथरी होंगी और नमूनों से मिलाए जायेंगे। व्यापारियों द्वारा प्रदाय माल का मिलान नमूने के मुताबिक होने या न होने की घोषणा जेल अधीक्षक द्वारा की जाएगी, जो मान्य होगे।

15. निविद मे दर्शाई गई सामग्री की मात्रा अनुमानित है। आवश्यकता पड़ने परसामग्री की मात्रा कम या अधिक की जा सकती है। सफल निविदाकर्ता को निर्धारित अवधि मे सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूने के अनुरूप करना होगा। कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्वीकार माल ठेकेदार को अपने व्यय से तुरन्त वापस ले जाकर नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा। प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जाकर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली संबंधित ठेकेदारसे की जाएगी। यह वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप मे या उसकी जमा निष्पादन प्रतिभूति (Perfomance Guarantee) राशि मे से की जा सकेगी । साथ ही उसे भविष्य के लिए जेल विभाग में निविदाएं प्राप्त करने के लिए ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कायवाही की जाएगी।

16. सब्जियॉ साफ एवं ताजी प्रदाय करनी होगी, जो प्रातः 7:00 बजे से 9:00 बजे तक अनिवार्य रूप से जेल गेट तक पहुंचाना होगी । निर्धारित समय तक सब्जियॉ प्राप्त न होने पर बंदियों की भोजन व्यवस्था बनाये रखने के लिए खुले बाजार से सब्जियॉ क्रय की जाएंगी, जिस पर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली ठेकेदार को देय किसी भी रकम से की जा सकेगी। ठेकेदार द्वारा विलंबसे भेजी गई सब्जियॉ वापस कर दी जाएंगी, जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे। सब्जियॉ जेल बगीचे से उपलब्ध नहोने की दशा में ही ठेकेदार से क्रय की जाएंगी।

17. दवाईयों एवं चिकित्सीय सामग्रियों की निविदा को वैध ड्रगलायसेंस संलग्न करना आवश्यक है। जिन दवाओं मे एक्सपायरी डेट निर्माता कंपनी द्वारा एक वर्ष से अधिक की नियत की गई हो, ऐसी दवाईयों की प्रदायगी मे सामान्यतः एक्सपायरी डेट कम सेकम एक वर्ष शेष होना अनिवार्य है। दवाईयों एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री ठेके में, एम.आर.पी. से अधिकतम डिस्काउंट देने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जाएगी। निविदाकारों को अस्पताल मे भर्ती बंदियो तथा जेल में गंभीर रूप से बीमार बंदियो हेतु मांग किये जाने पर तत्काल दवाईयों की पूर्ती करनी होगी।

18. निविदा मे उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति मे ही स्वीकृत निविदाकारों से क्रय की जाएंगी।

19. मध्य प्रदेश वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का परिपत्र क्रमाक एफ 6–8/03/11–अ दिनांक 19–02–2003 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 6–43/03/11–अ दिनांक 26.07.2003 के अनुक्रम मे अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों/व्यापारियों से 30 प्रतिशत सामग्री नियमानुसार क्रय की जाएगी।

20. जिस निविदाकार की निविदा जेल क्रय समिति द्वारा स्वीकार करने की अनुशंसा की गई हो उसे तत्काल 100 रूपये के नॉन ज्युडिशियत स्टैम्प पर करारनामा भरना होगा, जिसकी प्रति संबंधित जेल के कार्यालय मे प्राप्त की जा सकती है।

क्रमशः...4/–

21. सशर्त निविदा मान्य नही की जाएगी। ठेके की शर्तो के क्रियान्वयन के लिए सफल निविदाकर्ता, निविदा मे लेख रकम के बराबर का शोध क्षमता प्रमाण–पत्र या उसके बदले मे निविदा की रकम 10 प्रतिशत तक निष्पादित प्रतिभूति (Perfomance Guarantee) दिनांक ड्राफ्ट/मियादी जमा रसीद/बैंकर्स चैक/ बैंक गारंटी के रूप मे देगा। प्रतिभूति की राशि जेल अधीक्षक के नाम से देय होगा।

22. निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगी। निविदा खुलने के बाद, यदि न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता [L1]निविदा वापस लेते हुये करारनामा भरने एवं निष्पादन प्रतिभूति (Perfomance Guarantee) जमा करनेसे इंकार करता है तो उसका टेंडर निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गई 2 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money) अर्थात बयानेकी राशि जप्त कर ली जाएगी और संबंधित खंड/सामग्री की निविदा पुनः आमंत्रित की जाएगी।

23. सफल निविदाकर्ता को समस्त पूर्तियों समझौते के अनुसार किश्तों में आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक इन्डेंट के आधार पर संबंधित जेल गेटपर करनी होंगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त भाडा देय नहीं होगा।

24. देयकों का भुगतान संबंधित जेल द्वारा ई–पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा। सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार जो भी कर काटने योग्य होगा, काटा जाएगा। विशेष परिस्थिति मे भुगतान हेतु डिमांड ड्राफ्ट, बैकर्स चैक पर बैंक का कमीशन भी व्यापारी से काटा जाएगा। देयको के भुगतान में विलंब होने के कारण वस्तुओं का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।

25. महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्य प्रदेश को संबंधित जेल की क्रय समिति द्वारा अस्थाई रूप से स्वीकार की गई निविदा की पुष्टि करने या अभिलिखित कारणों के आधार पर उसे अंशतः स्वीकृत या नामंजूर करने का अधिकार है।

26. निविदातथा करारनामें के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले मे स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

27. निविदा मे भाग लेने वाली साझेदारी फर्म द्वारा साझेदारी संबंधी दस्तावेज (पार्टनरशिप डीड) प्रस्तुत किए जाएं।

28. पार्टनरशिप डीड मे हस्ताक्षर हेतु किसे अधिकृत किया गया है एवं निविदा संबंधी दस्तावेजों पर किस व्यक्ति के हस्ताक्षर है,स्पष्ट किया जाए।

29. पार्टनरशिप डीड अधिनियम 1932 के सेक्सन 25 के अनुसार हर भागीदार फर्म के ऐसे सब कार्यो के लिए जो उसके भागीदार रहते हुए किये जाते है, अन्य सब भागीदारों के साथ संयुक्ततः दायी है और पृथकतः भी रहेंगे।

30 यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भागीदारी का दस्तावेज फर्जी न हो तथा निविदा प्रस्तुतकर्ता द्वारा भागीदारी फर्म के सभी भागीदारो को लिखित मे सूचित कर दिया है कि प्रस्तुतकर्ता को कार्यवाही के लिए सामूहिक रूपसे अधिकृत किया गया है।

(एम.एस.रावत)
जेल अधीक्षक,
जिला जेल हरदा (मध्य प्रदेश)

जेल अधीक्षक
जिला जेल, हरदा (म.प्र.)

प्रपत्र – "अ"

:: शपथ पत्र ::

(कारागार अधिनियम 1984 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

में ....
जो जिला जेल हरदा के लिऐ सामग्री प्रदाय हेतु फर्म ....
.... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा करने वाली फर्म .... के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश में जेल विभाग में किसी भी स्थान पर किसी भी तरह के पद पर नियोजित नही है।

(हस्ताक्षर शपथकर्ता)

प्रपत्र – "ब"

:: शपथ पत्र ::

(जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल के परिपत्र क्रं. 05/वारंट–3/बं. मृ./2015 भोपाल दिनांक 28.01.2015 के पालन में)

में ....
जो जिला जेल हरदा के लिऐ सामग्री प्रदाय हेतु फर्म ....
.... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि में किसी भी आपराधिक प्रकरण में जमानत पर रिहा नही हूँ अथवा न ही कभी जेल में निरूद्ध रहा हूँ।

(हस्ताक्षर शपथकर्ता)